नीरा यादव,
सचिव

गोपनीय/महत्वपूर्ण

अर्द्ध0शा0प0सं0-745/चौवालिस-1/1988

उत्तर प्रदेश शासन
सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1
लखनऊ : दिनांक 5 अप्रैल, 1988

प्रिय महोदय,

सार्वजनिक उद्यमों/निगमों में कार्यरत लोक सेवकों के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जांच कराये जाने सम्बन्धी गोपनीय शासनादेश संख्या-1585/चौवालिस-1/1987, दिनांक 27 अगस्त, 1987 के अनुक्रम में आपसे यह कहने की मुझसे अपेक्षा हुई है कि भ्रष्ट अधिकारियों/कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुये पकड़ने हेतु ट्रैप की व्यवस्था सुसंगठित की गई है जो कि सतर्कता अधिष्ठान, सी0आई0डी0 तथा स्थानीय पुलिस द्वारा की जाती है। ट्रैप की कार्यवाही के परिणामस्वरूप रिश्वत लेते हुये लोक सेवक को मौके पर गिरफ्तार किया जाता है जिसकी सूचना तार के जरिए शासन के सतर्कता विभाग में भेजी जाती है। सूचना प्राप्त होने के बाद सतर्कता विभाग प्रशासकीय विभाग से इस बात का अनुरोध करता है कि ट्रैप में पकड़े गये लोक सेवक को निलम्बित कर दिया जाय। यदि इस कार्यवाही में विलम्ब होता है तो यह जनहित में नहीं है क्योंकि यदि ऐसा व्यक्ति अपने पद पर आसीन रहता है तो इससे न केवल उसे अपनी अवांछनीय गतिविधियां जारी रखने में उत्साह एवं प्रेरणा मिलती है, बल्कि जनता की भी आस्था शासन में कम हो जाती है।

2- अतः कृपया इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाय कि जैसे ही सतर्कता विभाग या किसी अन्य शासकीय माध्यम से आपको इस बात की सूचना मिले कि आपके अधीनस्थ कार्यरत कोई सेवक ट्रैप में गिरफ्तार हुआ है तो उसे तत्काल निलम्बित करने की कार्यवाही की जाय। यदि वह स्थानापन्न रूप से प्रोन्नति पर हो तो निलम्बन से पहले उसे मूल पद पर प्रत्यावर्तित करना उचित होगा, प्रत्यावर्तन के आदेश में ट्रैप या गिरफ्तारी या अन्य किसी कारण का कोई उल्लेख नहीं होना चाहिये। प्रत्यावर्तन तो केवल इस कारण किया जाएगा कि घटित परिस्थिति में उस व्यक्ति को उस उच्चतर पद पर, जिस पर वह स्थानापन्न था, बनाये रखना प्रशासनिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं समझा गया। इस प्रशासनिक आधार का भी कोई उल्लेख जारी होने वाले आदेश में न किया जाय। यदि वह सेवक अस्थायी हो तो निलम्बन के बजाय आवश्यकतानुसार बिना कारण बताये एक माह का वेतन देकर उसकी सेवा शर्तों के सन्दर्भ में व उसकी सेवा में उपयुक्तता के सन्दर्भ में सेवा समाप्ति के प्रश्न पर भी विचार कर लिया जाय।

3- इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जब किसी प्रकरण में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच चल रही हो तो उन्हीं आरोपों पर कोई विभागीय जांच नहीं होगी और यदि हो रही हो तो स्थगित कर दी जाय, क्योंकि एक ही प्रकरण में समानान्तर जांच अनावश्यक है। जो सिद्धान्त इस प्रथा में निहित है वह उन मामलों में भी लागू होता है जो सतर्कता अधिष्ठान द्वारा ट्रैप की कार्यवाही से सम्बन्धित है। एक बार जब ट्रैप की कार्यवाही हो जाती है तो उसमें विधिवत विवेचना सतर्कता अधिष्ठान (या जिस अन्य माध्यम द्वारा ट्रैप डाला गया हो) द्वारा ही की जानी चाहिये। अतः ऐसे मामलों में भविष्य के लिये मुझे यह कहने की अपेक्षा हुई है कि जब भी ट्रैप की कार्यवाही के फलस्वरूप किसी लोक सेवक को पकड़ा जाय तो उसी मामले को सतर्कता विभाग में लम्बित रहते हुये किसी प्रकार की विभागीय जांच न की जाय व मामले को निस्तारित न किया जाय। इस सम्बन्ध में जो स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं उन्हें निम्न प्रकार से निपटाया जाय :-

(1) ट्रैप की कार्यवाही के फलस्वरूप, यदि सम्बन्धित लोक सेवक अपनी सफाई में स्वतः कुछ कहना चाहे या कोई प्रतिवेदन दें तो उसे जांच अधिकारी को अग्रसारित कर दिया जाय कि जांच के दौरान वे उसे देखें।

(2) यह भी देखने में आया है कि कभी-कभी आरोपित लोक सेवक सतर्कता विभाग के जांच अधिकारी ही के विरुद्ध आरोप लगाता है। ऐसी स्थिति में, विशेषकर यदि आरोप गम्भीर हो,

तो लोक सेवक के प्रतिवेदन को सतर्कता निदेशक अथवा सतर्कता सचिव को विचार एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रसारित कर दिया जाया करें।

4- इसके अतिरिक्त यह भी अपेक्षा की जाती है कि ट्रैप के मामले की विवेचना करने वाले अधिकारी को जो भी सहायता की आवश्यकता पड़े वह उसे तुरन्त प्रदान कर दी जाये जिससे कि विवेचना शीघ्र सम्पन्न हो सके।

5- कृपया इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

भवदीया,
नीरा यादव ।

राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के
अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रशासकीय
विभागों के सचिव/विशेष सचिव।

संख्या-745 (1)/चौवालिस-1/1988, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सचिव, सतर्कता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) सतर्कता अनुभाग-1, 2, 3 व 4
(3) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से सम्बन्धित सचिवालय के समस्त प्रशासकीय अनुभाग।
(5) निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

आज्ञा से,
करनैल सिंह,
विशेष सचिव।